संख्या- 88/2018/272 जी.आई./33-3-2018-110/2012

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0 लखनऊ।

2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक: 16 नवम्बर 2018**

विषय : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत बेसलाइन सर्वे 2012-13 में छूटे हुए परिवारों की आई.एम.आई.एस. में प्रविष्टि एवं उनके शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-एस. 11019/3/2015-एस.बी.एम. पार्ट(2) दिनांक 13.11.2018 (प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 09.11.2018 तक प्रदेश स्तर पर बेसलाइन सर्वे से छूटे हुए परिवारों हेतु अनुमोदित कुल 36,50,821 परिवारों के सापेक्ष मात्र 83,765 परिवारों की ही प्रविष्टि आई.एम.आई.एस. पर की गई है।

2- बेसलाइन सर्वे से छूटे हुए परिवारों के लिए शौचालय निर्माण की बढ़ती मांग तथा मंत्रालय के सीमित संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत ऐसे परिवारों के शौचालय निर्माण के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत कार्यवाही की जानी हैं:-

(1) मंत्रालय द्वारा अनन्तिम रूप से अनुमोदित बेस लाइन सर्वे से छूटे हुए परिवारों की कुल संख्या के सापेक्ष दिनांक 30.11.2018 तक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के आई.एम.आई.एस. पर निर्धारित प्रारूप पर नाम प्रविष्टि के आधार पर ही राज्य में कुल शौचालयों की संख्या का लक्ष्य निर्धारण किया जायेगा।

(2) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के आई.एम.आई.एस. पर दिनांक 31.01.2019 तक ही उक्तानुसार कुल निर्मित एवं अंकित शौचालयों की संख्या के आधार पर ही वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यवाहियों के दृष्टिगत प्रदेश के बेसलाइन सर्वे से छूटे हुए परिवारों के नाम की प्रविष्टि दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

30.11.2018 तक तथा ऐसे अनुमोदित परिवारों के शौचालय निर्माण का कार्य दिनांक 31.01.2019 के पूर्व निश्चित रूप से पूर्ण कराने का कष्ट करें, ताकि मंत्रालय से धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। आई.एम.आई.एस. पर अंकित प्रविष्टि की सूचना मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0 की ईमेल आई.डी. sbmgup2018@gmail.com पर नियमित रूप से उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या-एस. 11019/3/2015-एस.बी.एम. पार्ट(2) दिनांक 13.11.2018 के संदर्भ में।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0।
4. समस्त उप निदेशक(पं0), उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(प्रवीण कुमार लक्षकार)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।